न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 110/2024

उनवान

रेखा पुत्री रतना जाति गुर्जर नि. रामपुरा न्यारा, नसीराबाद
—— अपीलांट :– जरियें अधिवक्ता श्री शिवजी गुर्जर

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत न्यारा, प.स. श्रीनगर, अजमेर,
2. गणेशी, पुत्री रतना,
3. पांची पत्नी रतना,
4. भाली,
5. मंगली,
6. सन्तोष पि0 रतना जाति गुर्जर नि0 रामपुरा न्यारा, नसीराबाद,
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— रेस्पोडेन्टस :– 1 से 6 अनुपस्थित
7 जरियें राज. पैरोकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनिश्म 1956 विरुद्व ग्राम पंचायत न्यारा पंचायत समिति श्रीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2019 विरासत का नामान्तकरण संख्या 93 के द्वारा पंचायत द्वारा स्वीकृत करने के आदेश के विरुद्व अपील बाबत।

दिनांक :– 5/8/24

–: आदेश :–

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम रामपुरा न्यारा के हाल खाता संख्या 17, 29, 42, 43, 57, 58, 60, 61 के खातेदार अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 है। उक्त आराजी जरियें विरासत अपीलांट को प्राप्त हुयी है। विरासत के नामान्तकरण संख्या 93 दिनांक 17.06.19 में अपीलांट का नाम रेखा के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से रेसा अंकित कर दिया। अतः नामान्तकरण संख्या 93 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 6 अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्टस संख्या राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि अपीलांट अपनी अपील स्वयं सिद्व करे।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा रतना पुत्र जेठ के नाम खातेदारी दर्ज थी। रतना की मृत्यु होने के उपरान्त आराजी मुतनाजा जरियें विरासत नामान्तकरण [illegible] 93 [illegible]06.19 से रतना के विधिक वारिस के नाम दर्ज की गयी। उक्त विरासत नामान्तकरण में अपीलांट का नाम रेसा पुत्री रतना दर्ज कर दिया गया। जबकि अपीलांट [illegible] आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में अपीलांट का नाम रेखा अंकित है। रेस्पोडेन्ट [illegible] से 6 प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने अपील का कोई खण्डन नही किया है। अपीलांट का वास्तवकि व सही नाम रेखा है। आराजी मुतनाजा में अपीलांट का सही नाम रेखा अंकित होने से रेस्पोडेन्टस के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अतः ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक उक्त नामान्तकरण निरस्त योग्य है।

उक्तानुसार अपील अपीलांट **"स्वीकार"** की जाती है। ग्राम रामपुरा न्यारा का नामानतकरण संख्या 93 दिनांक 20.0.619 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये उक्त रतना पुत्र जेठु की विरासत की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:37 IST
Reason: SelfAttested